राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.8(ग)(32)नियम/डीएलबी/16/8730 जयपुर दिनांकः 11/4/17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/10/4836–5026 दिनांक 16.05.2013 द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने के समय सडक की चौडाई बढाई जाने हेतु भू–पट्टी सम्पर्ण के पश्चात् शेष रही भूमि/भूखण्ड पर ही भू–उपयोग परिवर्तन राशि एवं लीजमनी देय होने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 16.05.2013 के प्रकरणो में ही उक्त छूट प्रदान की जा रही है इस संबंध में कतिपय स्थानीय निकायो तथा केडाई राजस्थान द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 16.05.2013 प्रभावशील होने के पूर्व के ऐसे मामलो में सडक की चौडाई बढाई जाने हेतु भू–पट्टी सम्पर्ण के पश्चात् शेष रही भूमि/भूखण्ड पर ही भू–उपयोग परिवर्तन राशि एवं लीजमनी देय होने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण उक्त छूट प्रदान नहीं की जा रही है।

अतः राज्य सरकार एतद्द्वारा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये निर्देश प्रदान करती है कि आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/10/4836–5026 दिनांक 16.05.2013 के पूर्व के प्रकरणो में भी सडक की चौडाई बढाई जाने हेतु भू–पट्टी समर्पण के पश्चात् शेष रही भूमि/भूखण्ड पर ही भू–उपयोग परिवर्तन राशि एवं लीजमनी देय होगी। समर्पित भूमि पर समर्पण की तिथी के पश्चात कोई लीज मनी व भू–उपयोग परिवर्तन राशि देय नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मदन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प.8(ग)(32)नियम/डीएलबी/16/8731–9123 जयपुर दिनांकः 11/4/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
04. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
06. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी